महत्वपूर्ण / आवश्यक

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : 5600 / उ.सू.आ. / 2012 दिनांक : 12 / 04 / 2012

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

विषय : प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रकिया संबंधी निर्देश.

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने / सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में किया जाता है. प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों.

2. आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के की धारा 19(3) के अंतर्गत योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है

कि कई प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर प्रथम अपीलों की सुनवाई करने की सही प्रकिया नहीं अपनायी जा रही है. उनके द्वारा किये जा रहे प्रथम अपीलों के निस्तारण में मुख्यतः निम्नलिखित कमियां परिलक्षित हो रही हैं :

2.1 अधिकतर प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई या तो बिलकुल नहीं की जा रही है अथवा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के बहुत बाद में प्रथम अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है.

2.2 कई प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा केवल अपीलकर्ता की अनुपस्थिति को कारण बनाते हुये प्रथम अपीलों को निरस्त किया जा रहा है, जबकि प्रत्येक प्रथम अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार पर नियमानुसार किया जाना चाहिए.

2.3 प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना अनुरोध पत्रों का बिंदुवार विश्लेषण नहीं किया जाता है तथा लोक सूचना अधिकारियों को अनुरोध पत्रों पर नियमानुसार सूचना देने हेतु समुचित निर्देश भी नहीं दिये जाते हैं.

2.4 कुछ प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण के स्थान पर अनुरोध में अनुरोधकर्ता द्वारा वर्णित की गयी समस्या / शिकायत के संबंध में पक्षों के मध्य समझौता कराने की कार्यवाही की जाती है, जबकि उनका दायित्व वांछित सूचना को उपलब्ध कराना होता है.

2.5 लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना प्रदान करने के संबंध में किसी प्रकार की अनुश्रवणात्मक कार्यवाही प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती है, जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में वे संबंधित लोक सूचना अधिकारियों के वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी होते हैं.

2.6 यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा अपील की सुनवाई स्वयं न कर के किसी अधीनस्थ कनिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी द्वारा करायी जाती है. ऐसा

प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर पर अधिनियम की धारा 19(1) का खुला उल्लंघन है तथा एक गंभीर कदाचरण भी है.

3. प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में आयोग स्तर से विभिन्न द्वितीय अपीलों, शिकायतों के आदेशों तथा सामान्य निर्देशों के माध्यम से पूर्व में भी अवगत कराया गया है किंतु अभी भी कई प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों की सुनवाई नियमानुसार नहीं की जा रही है. आयोग द्वारा इस पत्र के माध्यम से प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण के संबंध में पालन की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित निर्देश पुनः दिये जा रहे हैं :

<u>विभागीय अपील अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई तथा निस्तारण की प्रकिया</u>

3.1. समस्त प्रथम अपील अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई हेतु दिवसों का निर्धारण किया जाना चाहिए. प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपील अधिकारी को स्वयं उपलब्ध रहना चाहिए तथा अपीलकर्ता एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई की तिथि एवं समय के संबध में सूचना समय से पंजीकृत डाक द्वारा जारी की जानी चाहिए.

3.2. प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह सुनिष्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई तथा निस्तारण आवेदन प्राप्ति से 30 दिन की अवधि के अन्तर्गत कर दिया गया हो प्रथम अपील की सुनवाई / निस्तारण के समय उपलब्ध करायी गयी समस्त सूचना / अभिलेख अपीलकर्ता/प्रार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं. (अधिनियम की धारा 7 की उप धारा 6). लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क के लिए प्रार्थी को यदि नोटिस निर्गत कर यथोचित अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए अनुरोध किया गया हो, तब उस स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपीलार्थी / प्रार्थी को स–शुल्क सूचना उपलब्ध करायी जायेगी.

3.3. प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि

निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए.

3.4. अपीलकर्ता के सुनवाई तिथि की सूचना प्राप्त होने के बाद भी उपस्थित न होने पर, अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अन्य अवसर चाहने की स्थिति को छोड़ कर, प्रथम अपील अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई की जानी चाहिए. प्रथम अपील अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जा रही पत्रावली की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपीलकर्ता को प्रत्येक अनुमन्य/उचित सूचना/ अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा अस्वीकार्य सूचना / अभिलेख को लिखित रूप में, धारा 8 या 9 अथवा सूचना का अधिकार अधिनियम के किसी अन्य प्राविधान के तहत निरस्त कर दिया गया है. प्रथम अपील अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से अपनी सहमति/असहमति का, लिखित रूप में, कि किन बिन्दुओं पर असहमति है, लिखित रूप में कारण बताते हुए करना चाहिए.

3.5. प्रथम अपील अधिकारी यह सुनिष्चित करेंगे कि दोनों पक्षों को प्रथम अपील की सुनवाई तिथि की सूचना उपलब्ध करायी गयी हो, सूचनाओं/ अभिलेखों, स–शुल्क अथवा निःशुल्क, को तैयार किया गया हो तथा प्रथम अपील निर्णयों का अनुरक्षण किया गया हो. निर्णयों को पत्रावली में व्यवस्थित किया जाना चाहिए तथा धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई के समय आयोग के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

3.6. यह सुनिष्चित करना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा 'तृतीय पक्ष' को आवश्यकतानुसार अवसर देते हुए 'तृतीय पक्ष' (धारा 11) से संबधित प्राविधानों का पालन किया गया है.

3.7. प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय को लिखित में तिथि सहित जारी किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रतियां दोनों पक्षों (अपीलकर्ता एवं लोक सूचना अधिकारी) को उपलब्ध करायी जानी चाहिए.

3.8. प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समस्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ताओं हेतु सूचना तैयार करते समय, शासनादेश सं0 146 दिनांक 22 मार्च 2005 के संलग्नक 9 (निरस्तीकरण हेतु) तथा संलग्नक 10 (सूचनाओं को तैयार करने हेतु) में निर्धारित प्रारूपों का प्रयोग किया जाता है. दोनों स्थितियों में यह सुनिष्चित किया

जाना चाहिए कि 'आवेदनकर्ता को इसकी जानकारी दी गयी हो कि निरस्त की गयी/उपलब्ध करायी गयी जानकारी से असंतुष्ट होने की स्थिति में वह प्रथम अपील अधिकारी से प्रथम अपील कर सकते हैं तथा जिसका विवरण (अपीलीय अधिकारी का नाम व पता) लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र के अंत में उपलब्ध कराया गया हो.

3.9. प्रथम अपील अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रथम अपील का निर्णय उनके द्वारा नाम व तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जाये तथा उसके अन्त में आवेदनकर्ताओं को द्वितीय अपील करने के संबंध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग का पता उपलब्ध कराया जाये.

4. समस्त लोक प्राधिकारी कृपया अपने एवं अपने अधीनस्थ स्तरों पर नामित प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों से यथोचित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा उनके द्वारा आयोग के इन निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी प्रदेश के सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रथम अपीलों का निस्तारण उपरोक्त प्रकिया के अंतर्गत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि : समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को सूचनार्थ प्रेषित.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
2. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
3. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त